पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में ए.टी चंडीगढ़

2019 का सिविल संशोधन क्रमांक 7191 (ओ एंड एम)

निर्णय की तिथि: 03.06.2020

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

कोरम: माननीय श्रीमती. जस्टिस अलका सरीन

प्रस्तुति: श्री अक्षय भान, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री एएस तलवार, याचिकाकर्ता के वकील

श्री नरेश मारकण्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री सोनिया मदान, अधिवक्ता और

सुश्री निहाल डोगरा, प्रतिवादी संख्या 2 की वकील

अलका सरीन, जे.:

1. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका मध्यस्थता मामले संख्या 116 में विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुड़गांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.9.2018 (अनुलग्नक पी/24) को चुनौती देते हुए दायर की गई है। याचिका मूल रूप से 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 27320 के रूप में दायर की गई थी। हालांकि, बाद में, उक्त सिविल रिट याचिका को 22.10.2019 के आदेश के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका के रूप में माना गया था ।

2. वर्तमान मामले से संबंधित तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आमंत्रित बोलियों के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 2x600 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण अनुबंध (ईपीसी) प्रदान किया गया था। खेदड़, जिला हिसार (हरियाणा) में विद्युत संयंत्र। पार्टियों द्वारा दिनांक 30.10.2007 को समझौतों की एक श्रृंखला निष्पादित की गई। इन समझौतों में, खंड 6 विवादों के निपटारे और मध्यस्थता से संबंधित है और इस प्रकार है:

"यह विशेष रूप से पार्टियों द्वारा और उनके बीच सहमति व्यक्त की गई है कि समझौते से उत्पन्न होने वाले या समझौते के विषय को छूने वाले सभी मतभेद या विवादों का निर्णय विवादों के निपटान और मध्यस्थता की प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा जैसा कि खंड संख्या 2.26 (2.26.1) में बताया गया है। से 2.26.5) तक अनुबंध की सामान्य शर्तें विनिर्देशन के अनुसार।"

अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 2.26.0 विवादों के निपटान/मध्यस्थता से संबंधित है और खंड 2.26.5 इस प्रकार है:

"2.26.5 यदि सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हो पाता है, तो विवाद का निपटारा हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थों की मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार होगी या इसके बाद कोई भी संशोधन। मध्यस्थता का स्थान पंचकुला होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थता केवल पंचकुला में जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।"

3. दिनांक 1.7.2016 के पत्र (अनुलग्नक पी-5) के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता (परियोजनाएं) (यहां प्रतिवादी संख्या 2) को पत्र लिखकर कुछ विवादों का जिक्र किया, जो उत्पन्न हुए थे और, उसके मद्देनजर अनुरोध किया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति इस प्रकार की जाए कि इससे मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा न हो।

4. 6.7.2017 को, प्रतिवादी संख्या 2 के प्रबंध निदेशक ने एक कार्यालय नोट डाला, जिसकी प्रतिलिपि याचिकाकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद आरटीआई अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत प्राप्त की गई थी, जो निम्नानुसार है :

"कृपया एनपी-1 पर कार्यालय नोट का अवलोकन किया जाए।

आरइन्फ्रा ने दिनांक 01.07.2016 के पत्र (Ch-1) के माध्यम से 2x600 मेगावाट आरजीटीपीपी, हिसार के अनुबंध के खिलाफ मध्यस्थता लागू की है। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति सरकार द्वारा की जानी है। एक महीने के अंदर हरियाणा के. श्रीमती प्रोमिला इस्सर, आईएएस (सेवानिवृत्त) पूर्व मुख्य सचिव, हरियाणा को सरकार द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। डीएफआरटीपीपी, यमुनानगर के अनुबंध के खिलाफ एचपीजीसीएल और आरइंफ्रा के बीच चल रहे मध्यस्थता के लिए हरियाणा सरकार (सीएच-5)। मध्यस्थता प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और मार्च 2017 से पहले पुरस्कार की घोषणा होने की संभावना है।

इस अनुबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि डीसीआरटीपीपी, यमुनानगर और आरजीटीपीपी, हिसार के लिए अनुबंध काफी समान हैं और अनुबंध संबंधी प्रावधान लगभग समान हैं। श्रीमती प्रोमिला इस्सर, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने संविदात्मक प्रावधानों की पर्याप्त पृष्ठभूमि प्राप्त की है और मध्यस्थता मामले में शामिल जटिल मुद्दों का उचित ज्ञान प्राप्त किया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्रीमती को नियुक्त करना बेहतर होगा। प्रोमिला इस्सर, आईएएस (सेवानिवृत्त) इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ हैं। सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया। हरियाणा के.

एसडी/-

प्रबंध निदेशक, एचपीजीसीएल

एसीएस (पावर) 06.07.2016"

5. उक्त नोट/प्रस्ताव को इस टिप्पणी के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था कि "कृपया उपरोक्त नोट/प्रस्ताव का अवलोकन करें। यदि सरकार सहमत है तो नियुक्ति से पहले श्रीमती इस्सर की सहमति आवश्यक होगी" और मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया था। 15.7.2016 को. इसके बाद मामला हरियाणा सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए रखा गया, इस टिप्पणी के साथ कि "एनपी-9 में इसकी मंजूरी के मद्देनजर हरियाणा सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया गया है"।

इसके बाद, दिनांक 29.7.2016 (अनुलग्नक पी/8) के आदेश के तहत, हरियाणा के राज्यपाल ने श्रीमती को नियुक्त किया। पार्टियों के बीच मुद्दों की जांच करने और निर्णय लेने के लिए प्रोमिला इस्सर, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य सचिव, हरियाणा को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. 8.8.2016 को, एकमात्र मध्यस्थ ने पार्टियों को 19.8.2016 को सुबह 11.30 बजे मध्यस्थता कार्यवाही की पहली बैठक में भाग लेने के लिए एक पत्र (अनुलग्नक पी/9) जारी किया।

7. अगस्त 2016 में याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (इसके बाद संदर्भित) द्वारा संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(5) के तहत इस न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता मामला संख्या 166/2016 दायर किया। 'अधिनियम' के रूप में) एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना करना। इस न्यायालय ने दिनांक 27.10.2016 के फैसले

(अनुलग्नक पी/13) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए उक्त याचिका को खारिज कर दिया:

"34. ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि प्रतिवादी मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि नियुक्ति कानून की नज़र में ख़राब है। श्री भान ने एक से अधिक बार स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया है मध्यस्थ के खिलाफ कुछ भी हो, लेकिन उसका मामला केवल कानूनी प्रस्तुतियों पर निर्भर करता है, जिसे मैंने निपटाया है।

ऐसी परिस्थितियों में, यदि बाद में यह पाया जाता है कि मध्यस्थ किसी भी कारण से नियुक्त होने के लिए अयोग्य था, तो नियुक्ति को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता का उपाय धारा 13 या धारा 16 के तहत होगा , न कि धारा 11 के तहत ।

xxx

39. इन परिस्थितियों में याचिका खारिज की जाती है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि उक्त मध्यस्थ किसी अयोग्यता से ग्रस्त है, तो याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए उचित कार्यवाही अपनाने का हकदार होगा।"

8. पत्र दिनांक 8.11.2016 (अनुलग्नक पी/15) के माध्यम से याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया और अनुरोध किया कि मध्यस्थता कार्यवाही को अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए स्थगित कर दिया जाए। विशेष अनुमति याचिका का. दिनांक 27.10.2016 के आदेश (अनुलग्नक पी/13) को याचिकाकर्ता द्वारा एसएलपी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। 2016 का क्रमांक 33777।

9. 21.11.2016 को एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई हुई। 21.11.2016 को दर्ज बैठक के मिनटों में (अनुलग्नक पी/17) एकमात्र मध्यस्थ ने अधिनियम की धारा 12(2) के तहत निम्नलिखित खुलासा किया:

"6. वर्तमान मामले में मध्यस्थ नियुक्त करने वाली हरियाणा सरकार के पत्र दिनांक 29.07.2016 में पार्टियों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि मध्यस्थ हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव हैं। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि कोई प्रारूप नहीं है धारा 12(2) के तहत प्रकटीकरण के लिए निर्धारित किया गया है । इसलिए, सुनवाई में पार्टियों को सूचित किया गया कि यद्यपि मध्यस्थ हरियाणा के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव हैं, और हरियाणा राज्य को आवंटित एक अखिल भारतीय सेवा अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी भी प्रकार का कोई हित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किसी भी प्रकार का कोई अतीत या वर्तमान संबंध या वर्तमान मामले में विवाद के विषय वस्तु के संबंध में किसी भी पक्ष यानी आरइन्फ्रा और एचपीजीसीएल के साथ, जो उचित कारण को जन्म दे सकता है। उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर संदेह है।"

इसके बाद आगे की कार्यवाही 21.12.2016 तक के लिए स्थगित कर दी गई।

10. दिनांक 27.10.2016 के आदेश (अनुलग्नक पी/13) के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर 6.12.2016 को सुनवाई की गई और आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया था। हालाँकि, 29.3.2017 को याचिकाकर्ता ने आदेश अनुलग्नक पी/18 के माध्यम से अपनी उक्त विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली।

11. 31.3.2017 को याचिकाकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ को एक पत्र (अनुलग्नक पी/19) संबोधित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया:

"3. इसके मद्देनजर, अनुबंध/समझौते से उत्पन्न आरइन्फ्रा और एचपीजीसीएल के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा जारी 28 जुलाई, 2016 के आदेश पर आज तक कोई आपत्ति/चुनौती नहीं है। दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 और उसके संबंध में रिनफ्रा

द्वारा एचपीजीसीएल के खिलाफ एकमात्र मध्यस्थ के रूप में आपके समक्ष शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही, अब आगे बढ़ाई जा सकती है।

4. तदनुसार, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि परियोजना के लिए 30 अक्टूबर, 2007 के अनुबंध/समझौते से उत्पन्न आरइन्फ्रा और एचपीजीसीएल के बीच मध्यस्थता में सुनवाई, अधिमानतः 7 अप्रैल, 2017 को आयोजित करें (जब आरइंफ्रा और एचपीजीसीएल के बीच मध्यस्थता सुनवाई हो) (यमुना नगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से संबंधित पहले से ही निर्धारित है) या आपकी जल्द से जल्द सुविधानुसार।"

12. याचिकाकर्ता ने अपनी एसएलपी में एक आवेदन दायर किया। 2016 की संख्या 33777 (जिसे 29.3.2017 को वापस ले लिया गया था) में प्रार्थना की गई कि पुरस्कार को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित एक वर्ष की अवधि को 29.3.2017 से गिना जा सकता है यानी जिस दिन मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस ले लिया गया था। इस आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 28.4.2017 के आदेश (अनुलग्नक पी/21) के माध्यम से अनुमति दी थी।

13. 3.7.2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड (एआईआर 2017 एससी 3889) के मामले में अपना फैसला सुनाया।

14. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में निर्णय दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर अपने पहले के आदेश दिनांक 29.3.2017 को वापस लेने की प्रार्थना की (अनुलग्नक पी/18) और खारिज की गई विशेष अनुमति याचिका को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए। हालाँकि, दिनांक 1.12.2017 के आदेश के तहत उक्त आवेदन को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया था।

15. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में फैसले के आलोक में , विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुड़गांव के समक्ष अधिनियम की धारा 14 के तहत एक याचिका (अनुलग्नक पी/23) दायर की और प्रार्थना की

कि "घोषणा करें कि मध्यस्थ की कथित नियुक्ति शुरू से ही शून्य थी और इसलिए उसे अधिनियम के तहत मध्यस्थ बनने का कोई अधिकार नहीं था, या वैकल्पिक रूप से घोषित करें कि कथित मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो गया है, या वैकल्पिक रूप से, उसके अधिदेश को समाप्त करें अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में कथित एकमात्र मध्यस्थ "। इस याचिका का प्रतिवादियों ने विरोध किया। दिनांक 24.9.2018 (अनुलग्नक पी/24) के आदेश के तहत विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुड़गांव ने अधिनियम की धारा 14 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

16. याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.9.2018 (अनुलग्नक पी/24) के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में सीडब्ल्यूपी संख्या 27320/2018 के तहत एक सिविल रिट याचिका दायर की। दिनांक 22.10.2019 के आदेश के अनुसार उक्त सिविल रिट याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका के रूप में माना गया, जिसमें दिनांक 24.8.2018 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई (अनुलग्नक पी/24)।

17. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अक्षय भान और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेश मारकंडा को सुना है।

18. श्री अक्षय भान, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एकमात्र मध्यस्थ का आदेश प्रारंभ से ही शून्य है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने हरियाणा सरकार (प्रतिवादी संख्या 1) को एकमात्र मध्यस्थ के नाम की सिफारिश की थी, जिसका नाम केवल था हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित। यह अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 2.26.5 के प्रावधानों के विरुद्ध है और अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। आगे यह तर्क दिया गया है कि अपने स्वयं के एकमात्र मध्यस्थ के नाम की सिफारिश करने की उक्त कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में इस संबंध में निर्धारित कानून का उल्लंघन है। आगे यह तर्क दिया गया है कि परीक्षण यह है कि जो व्यक्ति मध्यस्थता के परिणाम में रुचि रखता है, उसके पास संभावित पूर्वाग्रह होगा और इस प्रकार, यह ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त या नामांकित होने या इसमें कोई भूमिका निभाने से वंचित

कर देगा। प्रकाश चंद की नियुक्ति और इस आदेश का कोई भी उल्लंघन नियुक्ति को शुरू से ही रद्द कर देगा। एक मध्यस्थ कानूनी या वास्तविक रूप से अपने कार्य करने में असमर्थ होगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले के तथ्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई अधिनियम की सातवीं अनुसूची के संदर्भ में अयोग्यता को आकर्षित करते हैं और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध एकमात्र उपाय धारा 14 के तहत याचिका दायर करना था। अधिनियम।

19. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अक्षय भान द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि एकमात्र मध्यस्थ के नाम की सिफारिश करते समय प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिया गया कारण यह है कि वह पहले से ही इसी तरह की मध्यस्थता से परिचित थी और उसे संविदात्मक प्रावधानों का ज्ञान था। उनके अनुसार अधिनियम की पांचवीं अनुसूची के खंड 24 के अनुसार यह स्वयं एक मध्यस्थ के पूर्वाग्रह को निर्धारित करने का आधार है । एकमात्र मध्यस्थ के रूप में उसके नाम की सिफारिश करते समय उसी मध्यस्थ के समक्ष एक अन्य मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने पर विचार स्पष्ट रूप से प्रतिवादी नंबर 2 की अपनी पसंद का एकमात्र मध्यस्थ रखने के इरादे को इंगित करता है और स्वतंत्रता के संबंध में याचिकाकर्ता के साथ उचित संदेह को भी दर्शाता है। एकमात्र मध्यस्थ का. उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों में अधिनियम की धारा 12(5) की व्याख्या के आलोक में ऐसी नियुक्ति शुरू से ही अमान्य है ।

20. वर्तमान मामले में उठाया गया तीसरा तर्क यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 के आदेश पर वर्तमान एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता में उत्तरदाताओं के सामान्य हितों को दर्शाती है। प्रतिवादी नंबर 2 एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जिसमें हरियाणा सरकार की बड़ी वित्तीय हिस्सेदारी, वित्तीय नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण है। वित्तीय आयुक्त (विद्युत), हरियाणा सरकार प्रतिवादी नंबर 2 के प्रबंधन में शामिल है। इस प्रकार, इस तथ्य का खुलासा किए बिना अपने ही मामले में मध्यस्थ को नामित करने में प्रतिवादी नंबर 2 का आचरण नियुक्ति को अधिनियम की सातवीं अनुसूची का उल्लंघन बनाता है ।

21. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अक्षय भान द्वारा उठाया गया चौथा तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 12(1) और छठी अनुसूची में उल्लिखित के अनुसार कोई खुलासा नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एकमात्र मध्यस्थ पांचवीं अनुसूची में उल्लिखित मार्गदर्शक कारकों के आलोक में छठी अनुसूची में दिए गए प्रारूप में धारा 12(1) के अनुसार खुलासा करने में विफल रहा है। इस तरह का गैर-प्रकटीकरण मामले की जड़ तक जाता है और एकमात्र मध्यस्थ को कानूनी या वास्तविक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ बना देता है और, इसलिए, हटाए जाने के लिए उत्तरदायी होता है।

22. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भान ने पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डीपीसी और अन्य पर भरोसा जताया है। बनाम एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड , 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1517; भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड , (2019) 5 एससीसी 755; एचआरडी कॉर्पोरेशन बनाम गेल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड), (2018) 12 एससीसी 471; लाइट बाइट फूड्स प्रा. लिमिटेड बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण , 2019 एससीसी ऑनलाइन बॉम 5163 और मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) अपने तर्कों के समर्थन में।

23. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेश मारकंडा द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रकटीकरण के मुद्दे को इस न्यायालय ने अपने दिनांक 27.10.2016 के फैसले (अनुलग्नक पी/13) में अंततः सुलझा लिया है। 2016 के मध्यस्थता मामले संख्या 166 में, जिसमें दोनों पक्षों का परस्पर संबंध था, जिसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अपेक्षित प्रकटीकरण प्रस्तुत किया गया था, हालांकि, एकमात्र प्रकटीकरण जो किया जाना आवश्यक था वह यह था कि प्रकाश चंद एकमात्र मध्यस्थ थे। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव. इसे आगे CR-7191-2019 - 10 - किया गया है

प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त निर्णय में अधिनियम की धारा 12(1) और 12(2) के तहत प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे से भी निपटा गया है। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 12(1) में मध्यस्थ की नियुक्ति

से पहले प्रकटीकरण की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए प्रारूप अधिनियम की छठी अनुसूची में दिया गया है । अधिनियम की धारा 12(2) नियुक्ति के बाद मध्यस्थ द्वारा प्रकटीकरण का प्रावधान करती है और इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है और, उनके अनुसार, वर्तमान मामले में आवश्यक प्रकटीकरण किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 27.10.2016 के फैसले (अनुलग्नक पी/13) में इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 12(1) , 12(2) और 12(5) के प्रावधानों को पांचवें और सातवें के साथ पढ़ा था। अनुसूचियाँ। उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 13 या 16 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी, यदि बाद में यह पाया जाता है कि मध्यस्थ किसी भी कारण से नियुक्त होने के लिए अयोग्य था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 27.10.2016 के फैसले (अनुलग्नक पी/13) के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिस पर विशेष अनुमति याचिका पर बहस की गई और 6.12.2016 को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने 29.3.2017 को इसे बिना शर्त वापस ले लिया (अनुलग्नक पी/18)। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वह प्रस्तुत करेंगे कि अब याचिकाकर्ता के लिए प्रकटीकरण के मुद्दे को उठाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसे अंततः इस न्यायालय ने दिनांक 27.10.2016 के फैसले (अनुलग्नक पी/13) के माध्यम से सुलझा लिया है।

24. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेश मारकंडा का अगला निवेदन आरटीआई अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई गई जानकारी और मध्यस्थ की नियुक्ति शुरू से ही शून्य होने के संबंध में है। वह प्रस्तुत करेंगे कि सीआर-7191-2019 - 11 -

याचिकाकर्ता को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना 4.11.2016 को प्राप्त हुई थी। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.10.2016 के फैसले की इस न्यायालय के समक्ष समीक्षा दायर नहीं करने का विकल्प चुना। दिनांक 27.10.2016 के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर विशेष

अनुमति याचिका में, आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी पर भरोसा करते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति को विशेष चुनौती दी गई थी । हालाँकि, विशेष अनुमति याचिका 29.3.2017 को बिना शर्त वापस ले ली गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ को संबोधित पत्र दिनांक 31.3.2017 (अनुलग्नक पी/19) के माध्यम से विशेष रूप से कहा था कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 29.7.2016 के आदेश की तारीख तक कोई आपत्ति/चुनौती नहीं थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि 7.4.2017 को याचिकाकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष कहा था कि वह सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय का एक आवेदन दायर करेगा कि अधिनियम की धारा 29 ए के तहत पुरस्कार को अंतिम रूप देने के लिए एक वर्ष की अवधि को गिना जाए। 29.3.2017 से यानी विशेष अनुमति याचिका खारिज होने की तारीख से. स्पष्टीकरण के लिए ऐसा आवेदन दिनांक 10.4.2017 (सीएम के साथ अनुबंध आर-2/1। 2020 का नंबर 4888) याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान मामले में पक्षों के बीच विवादों को संदर्भित किया गया था। 29.7.2016 को एकमात्र मध्यस्थ और यह प्रार्थना की गई कि "निर्देश दें कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार पारित करने की वैधानिक अवधि तत्काल याचिका के निपटान की तारीख यानी 29.3.2017 से शुरू होगी"। उक्त आवेदन में की गई प्रार्थना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 28.4.2017 (अनुलग्नक पी/21) को अनुमति दे दी थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पुरस्कार को अंतिम रूप देने के लिए एक वर्ष की अवधि 29.3.2017 से शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, याचिकाकर्ता अब पलट कर यह नहीं कह सकता है कि नियुक्ति शुरू से ही शून्य थी। वास्तव में, CR-7191-2019 - 12 -

याचिकाकर्ता ने अपनी ओर से पूर्वगामी कृत्यों के मद्देनजर नियुक्ति को चुनौती देने का अधिकार स्वेच्छा से छोड़ दिया। श्री मारकंडा ने अधिनियम की धारा 4 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि तत्काल मामले में छूट का सिद्धांत आकर्षित होता है। वह प्रस्तुत करेंगे कि अधिनियम की धारा 12(5) के तहत पार्टियों के बीच एक स्पष्ट समझौता होने के कारण , याचिकाकर्ता को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर हमला करने के लिए छूट के सिद्धांत द्वारा वर्जित

किया गया है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में एपीएसआरटीसी और अन्य बनाम एस.जयराम, (2004) 13 एससीसी 792 पर भरोसा किया।

25. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मारकंडा द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तत्काल मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि सभी निर्णयों में समानता यह है कि या तो नियुक्ति प्राधिकारी को स्वयं कार्य करना था। एक मध्यस्थ या उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य को नामांकित करना। इन परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न तो कोई पक्ष स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है और न ही किसी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित कर सकता है। उक्त निर्णय तत्काल मामले पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी हरियाणा सरकार है जो पार्टियों के बीच समझौते में एक पक्ष नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सभी निर्णय तत्काल मामले में विभिन्न विकासों के बाद हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 29.3.2017 (अनुलग्नक पी/18), मध्यस्थता कार्यवाही दिनांक 7.4.2017 (अनुलग्नक पी/20) और आवेदन दिनांक याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर 10.4.2017 (अनुलग्नक आर-2/1), और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर पारित आदेश दिनांक 28.4.2017 (अनुलग्नक पी/21)। उनका तर्क था कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सोल सीआर-7191-2019 - 13 - की नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई थी।

मध्यस्थ और श्री अक्षय भान द्वारा भरोसा किये गये निर्णय किसी भी तरह से याचिकाकर्ता की सहायता के लिए नहीं आते हैं।

26. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मारकंडा ने अपने तर्कों के समर्थन में हरियाणा सरकार, पीडब्ल्यूडी हरियाणा (बी एंड आर) शाखा बनाम जीएफ टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड पर भरोसा किया है। लिमिटेड एवं अन्य। , (2019) 3 एससीसी 505, बीएसएनएल बनाम मोटोरोला इंडिया (पी) लिमिटेड, (2009) 2 एससीसी 337 और एपीएसआरटीसी (सुप्रा)।

27. खंडन में, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भान द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2016 (अनुलग्नक पी/13) केवल

इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या मध्यस्थ द्वारा उसके बारे में गैर-प्रकटीकरण किया गया था। पूर्व मुख्य सचिव होने के नाते अधिनियम की धारा 12 के अनुसार खुलासा करने में विफलता होगी । उक्त निर्णय में छठी अनुसूची में दिए गए प्रारूप में प्रकटीकरण को अनिवार्य माना गया था। याचिका को खारिज करते समय इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत किसी भी अयोग्यता के संबंध में मुद्दा खुला छोड़ दिया गया था और यह माना गया था कि अधिनियम की धारा 11 मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने का कोई उपाय नहीं है। विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने से अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन की अस्वीकृति को लागू किया जाएगा, जबकि याचिकाकर्ता के लिए कानून में उपलब्ध अन्य उपायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विशेष अनुमति याचिका को वापस लेना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था क्योंकि एचआरडी कॉर्पोरेशन (सुप्रा) और पर्किन्स ईस्टमैन (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही माना था कि उचित कार्यवाही की जाएगी। सातवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का फैसला करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन होगा जो जिला न्यायालय के समक्ष है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने सीआर-7191-2019 - 14 - के मामले में

भारत ब्रॉडबैंड (सुप्रा) ने माना था कि मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले में प्रबंध निदेशक जैसे किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन से उत्पन्न अयोग्यता के संबंध में कानून की घोषणा केवल 3.3.2017 को घोषित की गई थी। मध्यस्थ की नियुक्ति में पार्टियों की कोई भी कार्रवाई या दावा याचिका दायर करके मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने से मध्यस्थ की नियुक्ति की रक्षा नहीं होगी क्योंकि यह कानून के संचालन से शुरू से ही शून्य है। वर्तमान मामले में, मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की घोषणा पर, याचिकाकर्ता नेअधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर किया, जो कानून में सही उपाय था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 31.3.2017 का पत्र (अनुलग्नक पी/19) अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ छूट के रूप में काम नहीं करेगा।याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार उक्त पत्र, एकमात्र मध्यस्थ को केवल एक सूचना थी

कि दिनांक 27.10.2016 के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (अनुलग्नक पी/13) वापस ले ली गई है और परिणामस्वरूप, मध्यस्थता समाप्त हो गई है। आगे बढ़ सकता है. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यह, अधिक से अधिक, एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष दावा दायर करने और मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने के समान होगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह मुद्दा भारत ब्रॉडबैंड (सुप्रा) के मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया है, जिसमें यह माना गया था कि मध्यस्थ की नियुक्ति या दावा दायर करना भी धारा के प्रयोजनों के लिए एक स्पष्ट छूट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।अधिनियम की धारा 12(5) . अपात्रता की ऐसी छूट को अभिव्यक्त किया जाना चाहिए यानी अपात्रता के बावजूद, उप-धारा की प्रयोज्यता को माफ करने वाले पक्षों के बीच एक लिखित समझौते के माध्यम से, मध्यस्थ में विश्वास व्यक्त करने वाले शब्दों में। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 31.3.2017 का पत्र मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) में कानून लागू होने से पहले का था। भारत ब्रॉडबैंड (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट नेमाना है कि सीआर-7191-2019 - 15 -

मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) में कानून की घोषणा 3.7.2017 को की गई थी और अयोग्यता से प्रभावित सभी नियुक्तियां उस तारीख से पहले पार्टियों की कार्रवाई के बावजूद शून्य और अमान्य होंगी। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2016 (अनुलग्नक पी/13) ने छठी अनुसूची में प्रदान किए गए प्रारूप में प्रकटीकरण दाखिल करने की आवश्यकता को माफ नहीं किया था। इस न्यायालय ने माना था कि जहां मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने का प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति खुलासा करने में विफल रहता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे नियुक्त करने का प्रस्ताव करने वाला पक्ष कार्य करने में विफल रहा है। इस न्यायालय ने यह भी माना कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि मध्यस्थ किसी भी कारण से नियुक्त होने के लिए अयोग्य था, तो नियुक्ति को चुनौती देने का उपाय धारा 13 या 16 के तहत होगा, न कि धारा 11 के तहत ।

28. तत्काल मामले के तथ्यों से निपटने से पहले, अधिनियम की धारा 12 से संबंधित कानून पर गहराई से नजर डालने की जरूरत है, खासकर मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद।

29. प्रस्ताव से निपटने के दौरान मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में उनका आधिपत्य, क्या प्रबंध निदेशक, जिसे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया था और आगे किसी और को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की शक्ति दी गई थी, को नामांकित करने के लिए पात्र माना जा सकता है। अधिनियम की धारा 12(5) के आधार पर मध्यस्थ को अयोग्य करार दिया गया है :

"54. ऐसे संदर्भ में, विवाद का आधार यह होगा कि क्या प्रबंध निदेशक की तरह एक अयोग्य मध्यस्थ, एक मध्यस्थ को नामित कर सकता है, जो अन्यथा योग्य और एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है, हम न तो इससे चिंतित हैं निष्पक्षता और न ही व्यक्तिगत सम्माननीयता। हम केवल प्रबंध निदेशक के अधिकार या शक्ति से चिंतित हैं। हमारे विश्लेषण से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं कि एक बार मध्यस्थ कानून के संचालन से अयोग्य हो गया है, तो वह किसी अन्य को नामित नहीं कर सकता है एक मध्यस्थ। सीआर-7191-2019 - 16 - में निहित नुस्खे के अनुसार मध्यस्थ अयोग्य हो जाता है।

अधिनियम की धारा 12(5) में । यह कानून में समझ से परे है कि जो व्यक्ति वैधानिक रूप से अयोग्य है, वह किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि एक बार जब बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो जाता है, तो अधिरचना का ढहना तय है। बिना चबूतरे के कोई भवन नहीं बन सकता। या इसे अलग ढंग से कहें तो, एक बार एकमात्र मध्यस्थ के रूप में प्रबंध निदेशक की पहचान खो जाने के बाद, किसी और को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार टिकाऊ नहीं है और हम ऐसा कहते हैं।"

30. मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) में 3.7.2017 को दिए गए फैसले के बाद, भारत ब्रॉडबैंड (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने उस

प्रस्ताव से निपटा, जहां अपीलकर्ता ने पहले मध्यस्थ नियुक्त किया था। मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णय, उक्त निर्णय का संदर्भ दिया और एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष प्रार्थना की कि चूंकि वह मध्यस्थ के रूप में अपना कार्य करने में कानूनी रूप से असमर्थ है, इसलिए उसे पार्टियों को संपर्क करने की अनुमति देने के लिए कार्यवाही से हट जाना चाहिए स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय। एकमात्र मध्यस्थ ने बिना कोई कारण बताए आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि एकमात्र मध्यस्थ कानूनी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है और एक स्थानापन्न मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जिस व्यक्ति ने मध्यस्थ नियुक्त किया था, वह कार्यवाही में भाग लेने के बाद नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। उच्च न्यायालय ने यह मानने के लिए अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान पर भी भरोसा किया कि अपीलकर्ता ने स्वयं ही मध्यस्थ नियुक्त किया था, और प्रतिवादी ने बिना किसी आपत्ति के दावे का एक बयान दायर किया था और यह एक व्यक्त के समान होगा। लिखित में समझौता, जो, इसलिए, CR-7191-2019 - 17 - होगा

यह अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता की छूट के बराबर है । मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया.

उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

"18. वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के प्रबंध निदेशक स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे, उन्हें सातवीं अनुसूची के आइटम 5 के तहत मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है, जो इस प्रकार है:

"मध्यस्थ का पार्टियों या वकील के साथ संबंध xxx xxx xxx xx

5. मध्यस्थ एक प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधन का हिस्सा होता है, या किसी एक पक्ष के सहयोगी में समान नियंत्रण प्रभाव रखता है, यदि सहयोगी सीधे मध्यस्थता में विवाद के मामलों में शामिल होता है।"

क्या ऐसा अयोग्य व्यक्ति स्वयं किसी अन्य मध्यस्थ को नियुक्त कर सकता है, यह केवल 3.7.2017 को टीआरएफ लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले से स्पष्ट हो गया था, इस न्यायालय ने माना था कि एक अयोग्य व्यक्ति द्वारा की गई नियुक्ति स्वयं ही शून्य है। इस प्रकार, 3.7.2017 को ही यह बिना किसी संदेह के स्पष्ट हो गया कि श्री खान की नियुक्ति शुरू से ही अमान्य होगी। चूँकि ऐसी नियुक्ति "पात्रता" यानी मामले की जड़ तक जाती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि श्री खान की नियुक्ति शून्य होगी। इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि क़ानून की किताब में धारा 12(5) के शामिल होने के बाद ही विवाद उत्पन्न हुआ और श्री खान की नियुक्ति 23.10.2015 के काफी समय बाद हुई। टीआरएफ लिमिटेड के मामले में फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह केवल संभावित रूप से लागू होगा यानी श्री खान जैसे व्यक्तियों की जो नियुक्तियां की गई हैं, वे फैसले की तारीख से पहले की जाने पर वैध होंगी। संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 26 यह स्पष्ट करती है कि संशोधन अधिनियम, 2015 23.10.2015 को या उसके बाद शुरू की गई मध्यस्थ कार्यवाही के संबंध में लागू होगा। वास्तव में, निर्णय ने मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश को ही रद्द कर दिया, जो कि 27.1.2016 का एक आदेश था, जिसके द्वारा प्रतिवादी के प्रबंध निदेशक ने इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को खंड 33 (डी) के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया था। क्रय आदेश दिनांक 10.5.2014. यह देखा जाएगा कि वर्तमान मामले में तथ्य कुछ हद तक समान हैं। एपीओ स्वयं वर्ष 2014 का है, जबकि प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्ति टीआरएफ लिमिटेड की तरह संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद हुई है। यह देखते हुए कि टीआरएफ लिमिटेड में इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति सीआर-7191-2019 - 18 -

कानून में गैर-स्थायी होने के कारण रद्द कर दिया गया था, वर्तमान मामले में श्री खान की नियुक्ति का पालन किया जाना चाहिए।"

31. एक बार फिर पर्किन्स ईस्टमैन (सुप्रा) के मामले में धारा 11(6) और 11(12)(ए) के तहत एक आवेदन से निपटने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने इस आधार पर दायर किया कि मध्यस्थता खंड ने एक पूर्ण अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को अपनी पसंद के मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्वाभाविक रूप से विवाद के संबंध में निर्णय के परिणाम में रुचि लेंगे और इस तरह उन्होंने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की। न्यायालय, निम्नानुसार आयोजित:

"19. इस प्रकार यह माना गया कि चूँकि प्रबंध निदेशक कानून के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया था, वह किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित नहीं कर सकता था और एक बार एकमात्र मध्यस्थ के रूप में प्रबंध निदेशक की पहचान खो गई थी , किसी अन्य को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की शक्ति भी समाप्त कर दी गई थी। उक्त मामले में प्रासंगिक खंड ने प्रबंध निदेशक को स्वयं एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया था और उक्त प्रबंध निदेशक को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अधिकार भी दिया था। प्रबंध निदेशक इस प्रकार उक्त खंड के तहत दो क्षमताएं थीं, पहली मध्यस्थ के रूप में और दूसरी नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में। वर्तमान मामले में हम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की केवल एक क्षमता से चिंतित हैं और वह एक नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में है।

20. इस प्रकार हमारे पास मामलों की दो श्रेणियां हैं। पहला, टीआरएफ लिमिटेड में निपटाए गए मामले के समान जहां प्रबंध निदेशक को खुद को मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है, जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की अतिरिक्त शक्ति है। दूसरी श्रेणी में, प्रबंध निदेशक को स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना है, बल्कि अपनी पसंद या विवेक के किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का अधिकार या प्राधिकृत है। यदि, मामलों की पहली श्रेणी में, प्रबंध निदेशक को अक्षम पाया गया, तो यह कहा जाएगा कि विवाद के नतीजे या परिणाम में उसकी रुचि थी। इस प्रकार अमान्यता का तत्व सीधे तौर पर संबंधित होगा और ऐसे परिणाम या

निर्णय में उसकी रुचि से उत्पन्न होगा। यदि वह परीक्षण हो, तो समान अमान्यता हमेशा उत्पन्न होगी और सीआर-7191-2019 - 19 -

दूसरी श्रेणी के मामलों में भी वसंत। यदि विवाद के नतीजे में उसकी जो रुचि है, उसे पूर्वाग्रह की संभावना का आधार मान लिया जाए, तो यह हमेशा मौजूद रहेगा, भले ही मामला पहली या दूसरी श्रेणी के मामलों में हो। हम जानते हैं कि यदि इस तरह की कटौती टीआरएफ लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले से ली जाती है, तो सभी मामलों में उन खंडों के समान धाराएं होती हैं जिनके साथ हम वर्तमान में चिंतित हैं, समझौते के एक पक्ष को इसके लिए मध्यस्थ की कोई भी नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होगा। स्वयं और यह तर्क देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा कि विवाद में रुचि रखने वाला कोई पक्ष या कोई अधिकारी या प्राधिकारी मध्यस्थ की नियुक्ति करने का हकदार नहीं होगा।

21. लेकिन, हमारे विचार में यह टीआरएफ लिमिटेड से तार्किक कटौती होनी चाहिए। निर्णय के अनुच्छेद 50 से पता चलता है कि यह न्यायालय इस मुद्दे से चिंतित था, "क्या प्रबंध निदेशक, कानून के संचालन से अयोग्य हो जाने के बाद भी, क्या वह अभी भी एक मध्यस्थ को नामित करने के लिए पात्र है" उसमें उल्लिखित अपात्रता, संचालन के परिणामस्वरूप थी कानून में, विवाद में या उसके परिणाम या निर्णय में रुचि रखने वाला व्यक्ति न केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य होना चाहिए, बल्कि किसी अन्य को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए भी पात्र नहीं होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति होने से विवाद समाधान के लिए कोई रास्ता तय करने में उसकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। पैराग्राफ में अगले वाक्य, आगे दिखाते हैं कि ऐसे मामले जहां दोनों पक्ष अपनी पसंद के संबंधित मध्यस्थों को नामित कर सकते थे, पूरी तरह से एक अलग स्थिति पाई गई। कारण स्पष्ट है कि एक पक्ष को अपनी पसंद के मध्यस्थ को नामित करने से जो भी लाभ होगा, वह दूसरे पक्ष के साथ समान शक्ति द्वारा संतुलित हो जाएगा। लेकिन, ऐसे मामले में जहां केवल एक पक्ष को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है, उसकी पसंद में विवाद समाधान के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने या चार्ट बनाने में हमेशा विशिष्टता का तत्व होगा। स्वाभाविक रूप से,

जिस व्यक्ति को विवाद के परिणाम या निर्णय में रुचि है, उसके पास एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसे मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम 3) द्वारा लाए गए संशोधनों के सार के रूप में लिया जाना चाहिए और टीआरएफ लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता प्राप्त है।"

32. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की तुलना में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए । वर्तमान नागरिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर एक याचिका से उत्पन्न हुई है। यह CR-7191-2019 - 20 - है

सामान्य बात यह है कि एक बार एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है और प्रकटीकरण छठी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में किया जाना है, तो पांचवीं अनुसूची में बताए गए आधार यह निर्धारित करने में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं कि क्या स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियां मौजूद हैं। एक मध्यस्थ का. एक बार मध्यस्थ नियुक्त हो जाने के बाद, उसकी नियुक्ति को अधिनियम की धारा 12(3) और/या 12(4) में उल्लिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। नियुक्ति को चुनौती देने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 13 में निर्धारित है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण को सबसे पहले चुनौती पर निर्णय लेना चाहिए और यदि मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने वाला पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष सफल नहीं होता है तो उसके लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय यह है कि वह इस फैसले को रद्द करने के लिए एक आवेदन देकर उसी पद को चुनौती दे। अधिनियम की धारा 34 के अनुसार एक पुरस्कार । एचआरडी कॉरपोरेशन (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

"12. 2016 के संशोधन अधिनियम के बाद, अधिनियम द्वारा उन व्यक्तियों के बीच एक द्वंद्व बनाया गया है जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए "अपात्र" हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में उनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह मौजूद हैं। चूंकि अयोग्यता की जड़ में जाती है नियुक्ति,

सातवीं अनुसूची के साथ पढ़ी गई धारा 12(5) यह स्पष्ट करती है कि यदि मध्यस्थ सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक में आता है, तो वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए "अपात्र" हो जाता है। एक बार जब वह अयोग्य हो जाता है, तो यह स्पष्ट है कि, धारा 14(1)(ए) के तहत , वह कानूनी रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि कानून में, उसे "अयोग्य" माना जाता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक मध्यस्थ कानूनी रूप से कार्य करने में असमर्थ है उसके कार्यों के लिए धारा के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाना आवश्यक नहीं है

13. चूंकि ऐसे व्यक्ति के पास आगे बढ़ने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव होगा, इसलिए इस आधार पर उसके जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए धारा 14(2) के तहत अदालत में एक आवेदन दायर किया जा सकता है। इसके विपरीत, एक चुनौती में जहां पांचवीं अनुसूची में बताए गए आधारों का खुलासा किया जाता है, जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या सीआर-7191-2019 - 21 - के बारे में उचित संदेह को जन्म देता है।

निष्पक्षता, स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में ऐसे संदेह को धारा 13 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विशेष चुनौती के तथ्यों में तथ्य के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए । यदि कोई चुनौती सफल नहीं होती है, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण निर्णय लेता है कि मध्यस्थ/मध्यस्थों की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में कोई उचित संदेह नहीं है, तो न्यायाधिकरण को धारा 13(4) के तहत मध्यस्थ कार्यवाही जारी रखनी चाहिए और एक पुरस्कार देना चाहिए। ऐसा निर्णय दिए जाने के बाद ही, पांचवीं अनुसूची में निहित आधारों पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली पार्टी उपरोक्त आधारों पर धारा 34 के अनुसार मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन कर सकती है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि न्यायमूर्ति दोआबिया और न्यायमूर्ति लाहोटी की नियुक्ति के खिलाफ पांचवीं अनुसूची में शामिल किसी भी चुनौती पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। इसलिए, हम पांचवीं अनुसूची में शामिल वस्तुओं पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं जिसके तहत अपीलकर्ता किसी मध्यस्थ की नियुक्ति

को चुनौती दे सकता है। ट्रिब्यूनल द्वारा पुरस्कार दिए जाने के बाद ही वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

33. यदि कोई मध्यस्थ सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक में आता है, तो वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाता है और अधिनियम की धारा 14(1)(ए) के तहत वह अपने कार्यों को करने में कानूनी रूप से असमर्थ हो जाता है। /उसे अपात्र माना जाता है। चूंकि ऐसे व्यक्ति के पास आगे बढ़ने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव होगा, इसलिए इस आधार पर उसके जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम की धारा 14(2) के तहत अदालत में एक आवेदन दायर किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी पक्ष को मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, ऐसी स्थिति में जहां पांचवीं अनुसूची में बताए गए आधारों का खुलासा किया गया है और कौन से आधार मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करते हैं, ऐसे आधारों को अधिनियम की धारा 13 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया और निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसे आधारों को खारिज कर देता है तो मध्यस्थ कार्यवाही जारी रहेगी सीआर-7191-2019 - 22 -

और एक पुरस्कार बनाया जाना है. ऐसा निर्णय दिए जाने के बाद ही पांचवीं अनुसूची में निहित आधारों पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली पार्टी उपरोक्त आधारों पर अधिनियम की धारा 34 के अनुसार मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन कर सकती है। मध्यस्थ की नियुक्ति के खिलाफ पांचवीं अनुसूची में शामिल किसी भी चुनौती पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

34. एक बार फिर भारत ब्रॉडबैंड (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस प्रकार माना:

"14. उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि धारा 12(1) , जैसा कि मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 ["संशोधन अधिनियम, 2015"] द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि जब ए किसी

व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो यह उसका कर्तव्य है कि वह ऐसी किसी भी परिस्थिति का लिखित रूप में खुलासा करे जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा कर सकती है। प्रकटीकरण निर्दिष्ट प्रपत्र में किया जाना है छठी अनुसूची, और पांचवीं अनुसूची में बताए गए आधार यह निर्धारित करने में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करती हैं। एक बार यह हो जाने के बाद, मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकती है इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि धारा 12 की उप-धारा (3) के तहत उचित संदेह उत्पन्न हुए हैं, धारा 12 की उप-धारा (4) द्वारा दर्ज की गई चेतावनी के अधीन । चुनौती प्रक्रिया तब धारा 13 में निर्धारित की जाती है , साथ में धारा 13(2) में निर्धारित समय-सीमा । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पहले उक्त चुनौती पर निर्णय लेना चाहिए, और यदि यह सफल नहीं होता है, तो न्यायाधिकरण कार्यवाही जारी रखेगा और एक पुरस्कार देगा। यह निर्णय के बाद ही होता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने वाला पक्ष अधिनियम की धारा 34 के अनुसार ऐसे पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। "

35. इसलिए वर्तमान नागरिक पुनरीक्षण याचिका में, जो अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर एक याचिका से उत्पन्न हुई है, इस न्यायालय को केवल इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या एकमात्र मध्यस्थ सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक में आता है। और एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया है CR-7191-2019 - 23 -

चूँकि अधिनियम की धारा 14(1)(ए) के तहत वह कानूनी रूप से अपने कार्य करने में असमर्थ हो गई है। इसलिए, पांचवीं अनुसूची में निहित आधार पर एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दी गई चुनौती पर अदालत द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और इसे धारा 13 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष उठाया जाना चाहिए । अधिनियम ।

36. वर्तमान मामले में स्वीकृत स्थिति यह है कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हरियाणा राज्य द्वारा की गई थी, जो पार्टियों द्वारा निष्पादित अनुबंध/समझौतों में एक पक्ष नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को संबोधित अपने पत्र दिनांक 1.7.2016 (अनुलग्नक पी/5) के माध्यम से मध्यस्थता खंड का आह्वान किया गया था। यह पत्र हरियाणा राज्य को अंकित नहीं था। इस पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को पता था कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हरियाणा राज्य द्वारा की जानी थी, न कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा। इस पत्र की प्राप्ति पर, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित फाइल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के प्रबंध निदेशक की टिप्पणियों के साथ हरियाणा राज्य को भेज दी गई थी। इन नोट्स में श्रीमती की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव/सुझाव शामिल था। प्रोमिला इस्सर, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य सचिव, हरियाणा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में। नोटिंग में इस प्रस्ताव/सुझाव को देने की वजह का भी खुलासा किया गया है. 29.7.2016 को हरियाणा राज्य, जो अनुबंध/समझौते का पक्षकार नहीं है, ने श्रीमती को नियुक्त किया। प्रोमिला इस्सर, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य सचिव, हरियाणा को मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के बाद एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया। प्रतिवादी नंबर 2 के प्रबंध निदेशक ने अनुबंध/समझौतों के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की और न ही कर सकते थे।

37. पर्किन्स ईस्टमैन (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले पर विचार करते हुए माना कि दो सीआर-7191-2019 - 24 - हैं

मामलों की श्रेणियां - एक जहां प्रबंध निदेशक को स्वयं मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है, जिसके पास किसी और को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की अतिरिक्त शक्ति है और दूसरी, जहां प्रबंध निदेशक स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन किसी और को नियुक्त करने के लिए अधिकृत है। एक मध्यस्थ के रूप में. याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि वर्तमान मामला दूसरी श्रेणी में आता है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 के प्रबंध निदेशक ने हरियाणा राज्य के लिए एक नाम का प्रस्ताव/सुझाव देकर, जिस नाम

को हरियाणा राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया था, प्रदान किया था। एकमात्र मध्यस्थ कानूनी रूप से अयोग्य है और उस पर अधिनियम की धारा 12(5) की कठोरता का प्रभाव पड़ा है , यह अक्षम्य है। यह तर्क केवल इस आधार पर खारिज करने योग्य है कि यह मामला स्थापित नहीं किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 का प्रबंध निदेशक एकमात्र मध्यस्थ था या कि एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति प्रतिवादी नंबर 2 के प्रबंध निदेशक के पास निहित थी। अनुबंध/समझौते के तहत. माना जाता है कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी, जो कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुबंध/समझौतों में न तो एक पक्ष था और न ही हस्ताक्षरकर्ता था। वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से पर्किन्स ईस्टमैन (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चर्चा की गई दोनों स्थितियों में से किसी में भी नहीं आता है। मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध/समझौते में, प्रतिवादी नंबर 2 के प्रबंध निदेशक को मध्यस्थ के रूप में नामित नहीं किया गया है और न ही उसे किसी और को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की कोई अतिरिक्त शक्ति दी गई है। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 2 के प्रबंध निदेशक स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और किसी अन्य को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए भी अधिकृत नहीं हैं। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि मध्यस्थ को हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता था या हरियाणा सरकार प्रतिवादी नंबर 2 में एक हितधारक होने के नाते एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अयोग्य हो गई थी।

38. अधिनियम की धारा 12(5) एक मध्यस्थ की इस तरह कार्य करने में कानूनी अक्षमता से संबंधित है। जिस क्षण मध्यस्थ का पार्टियों या वकील के साथ संबंध सातवीं अनुसूची के दायरे में आता है, धारा 12(5) ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य घोषित करती है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील यह दिखाने में सक्षम नहीं हैं कि वर्तमान मामला अधिनियम की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित स्थितियों या मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड, भारत ब्रॉडबैंड के मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत कैसे आता है। या पर्किन्स ईस्टमैन (सुप्रा)।

39. दूसरे आधार पर याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि मध्यस्थता में दोनों उत्तरदाताओं के सामान्य हित हैं क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है और इसलिए, एकमात्र मध्यस्थ के प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा नामांकन है अधिनियम की सातवीं अनुसूची का उल्लंघन ऊपर चर्चा किए गए बिंदु की एक शाखा है और इस प्रकार, यह भी खारिज किए जाने योग्य है। केवल इसलिए कि हरियाणा राज्य का प्रतिवादी नंबर 2 की स्थापना में कुछ वित्तीय हित है या प्रतिवादी नंबर 2 के बोर्ड में एक नामांकित व्यक्ति है, इसका वास्तव में यह मतलब नहीं होगा कि उसे मध्यस्थ कार्यवाही में कोई दिलचस्पी है। इसके अलावा, इस बात को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। यदि याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार कर ली जाती है तो वस्तुतः राज्य बोर्ड, निगम, संगठन आदि से जुड़े हर विवाद में राज्य सरकार मध्यस्थ नियुक्त करने की स्थिति में नहीं होगी।

40. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क कि प्रतिवादी नंबर 2 मध्यस्थता के परिणाम में रुचि रखेगा और इसलिए, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति में कोई भी भूमिका निभाने से वंचित हो जाएगा, यह भी अस्वीकार्य है।

एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी, जो कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुबंध/समझौतों में न तो एक पक्ष था और न ही हस्ताक्षरकर्ता था। केवल इसलिए कि हरियाणा सरकार ने भी उसी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसा कि प्रतिवादी नंबर 2 के प्रबंध निदेशक द्वारा की गई नोटिंग में उल्लेख किया गया है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि सरकार ने एकमात्र मध्यस्थ को चुनने और नियुक्त करने से पहले स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग नहीं लगाया था। प्रतिवादी नंबर 2 ने एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति में भूमिका निभाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्णय के नतीजे में रुचि रखने वाले प्राधिकारी द्वारा मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून से प्रभावित होगी, लेकिन वर्तमान मामले में ये परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है, न ही

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि हरियाणा सरकार, जिसने एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था, किसी भी तरह से मध्यस्थ के निर्णय के परिणाम में रुचि रखती थी। कार्यवाही. ऐसा होने पर यह नहीं माना जा सकता कि अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधानों के मद्देनजर एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति खराब थी।

41. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में उसके नाम की सिफारिश करते समय उसी एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष एक और मध्यस्थता की कार्यवाही के लंबित होने पर विचार यह भी इंगित करता है कि प्रतिवादी नंबर 2 अपनी पसंद का मध्यस्थ चाहता था। और इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति शुरू से ही शून्य है , इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सातवीं अनुसूची में ऐसा कोई खंड नहीं है जो मध्यस्थ की नियुक्ति को शून्य ठहराता हो क्योंकि वह पहले से ही उन्हीं पक्षों के बीच किसी अन्य विवाद से निपट रहा है। अधिनियम की धारा 12(5) तभी लागू होती है जब मध्यस्थ का पार्टियों के साथ संबंध या सीआर-7191-2019 - 27 -

परामर्श सातवीं अनुसूची के दायरे में आता है। एक ही मध्यस्थ के समक्ष समान पक्षों के बीच किसी अन्य विवाद का लंबित रहना सातवीं अनुसूची में उल्लिखित कारक नहीं है। एचआरडी कॉर्पोरेशन (सुप्रा) में मध्यस्थों में से एक की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी और एक आधार यह उठाया गया था कि उसने पार्टियों के बीच पिछले मध्यस्थता में पहले ही एक पुरस्कार प्रदान कर दिया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा, एचआरडी कॉर्पोरेशन मामले में मामला अधिनियम की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया, जबकि वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 14 के तहत शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित है। इसके अलावा, पार्टियों के बीच एक और विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ के पहले से ही जब्त होने का तथ्य याचिकाकर्ता को तब पता चला जब उसने एआरबी होने के नाते इस न्यायालय के समक्ष धारा 11 के तहत याचिका दायर की। 2016 की संख्या 166। उस याचिका में इस आधार को न तो उठाया गया था और न ही तर्क दिया गया

था। दिनांक 27.10.2016 (अनुलग्नक पी/13) के फैसले द्वारा उक्त याचिका को खारिज करते हुए इस न्यायालय ने कहा:

"34. xxx xxx xxx xx परिस्थितियों में, यदि बाद में यह पाया जाता है कि मध्यस्थ किसी भी कारण से नियुक्त होने के लिए अयोग्य था, तो नियुक्ति को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता का उपाय धारा 13 या धारा 16 के तहत होगा, न कि धारा 11 के तहत ।

क्सक्सक्स क्सक्सक्स क्सक्सक्स

39. इन परिस्थितियों में याचिका खारिज की जाती है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि उक्त मध्यस्थ किसी अयोग्यता से ग्रस्त है, तो याचिकाकर्ता अपनी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए उचित कार्यवाही अपनाने का हकदार होगा।"

याचिकाकर्ता द्वारा अब अनुरोध किए गए एकमात्र मध्यस्थ की अयोग्यता अधिनियम की सातवीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है और परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर याचिका में इसका विरोध नहीं किया जा सकता है । याचिकाकर्ता भी CR-7191-2019 - 28 -

अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका में ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई ।

42. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए तर्क पर आते हैं कि अधिनियम की धारा 12(1) और छठी अनुसूची में उल्लिखित कोई खुलासा नहीं है और एकमात्र मध्यस्थ आवश्यकता के अनुसार खुलासा करने में विफल रहा है। छठी अनुसूची में दिए गए प्रारूप में धारा 12(1) के अनुसार , यह न्यायालय याचिकाकर्ता को उस मुद्दे पर फिर से विचार करने की अनुमति नहीं दे सकता है जो अंतिम रूप ले चुका है। याचिकाकर्ता ने एआरबी होने के नाते पहले इस न्यायालय में याचिका दायर की थी। 2016 की संख्या 166 जिसमें इसने एकमात्र मध्यस्थ द्वारा गैर-प्रकटीकरण सहित चुनौती के कई आधार उठाए थे। उक्त याचिका दिनांक 27.10.2016 के एक विस्तृत निर्णय (अनुलग्नक पी/13)

द्वारा खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उक्त याचिका खारिज होने के बाद उसने आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त की जो उसके मामले को पूरी तरह से प्रमाणित करती है।

43. हालाँकि, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को अब एकमात्र मध्यस्थ द्वारा गैर-प्रकटीकरण के संबंध में एक बार फिर से चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि याचिकाकर्ता को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना 4.11.2016 को यानी एआरबी होने के कारण उसकी याचिका खारिज होने के बाद प्राप्त हुई। 27.10.2016 को 2016 की संख्या 166 (अनुलग्नक पी/13)। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (अनुलग्नक पी/14) दायर की, जिसमें उसने आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर चुनौती के अतिरिक्त आधार उठाए । हालाँकि, विशेष अनुमति याचिका 6.12.2016 को आदेशों के लिए आरक्षित होने के बाद 29.3.2017 (अनुलग्नक पी/18) को बिना शर्त वापस ले ली गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम सीआर-7191-2019 - 29 की धारा 14 के तहत दायर आवेदन में दिए गए कथनों के अनुसार

(अनुलग्नक पी/23), मेसर्स टीआरएफ लिमिटेड (सुप्रा) मामले में फैसले के मद्देनजर, याचिकाकर्ता ने विविध दायर करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2017 का आवेदन संख्या 1370 जिसमें आदेश दिनांक 29.3.2017 (अनुलग्नक पी/18) को वापस लेने और खारिज की गई विशेष अनुमति याचिका को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने की प्रार्थना की गई है। इस विविध आवेदन को भी 1.12.2017 को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया।

44. दिनांक 27.10.2016 का निर्णय (अनुलग्नक पी/13) अंतिम रूप ले चुका है। दिनांक 27.10.2016 के फैसले (अनुलग्नक पी/13) में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था:

"8. श्री भान ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ के रूप में पूर्व मुख्य सचिव की नियुक्ति अनुसूची 6 के साथ पढ़ी गई धारा 12(1)(ए) का उल्लंघन होने के कारण शून्य है, क्योंकि मध्यस्थ खुलासा दाखिल करने में विफल रहा। उन्होंने आगे कहा

कि मध्यस्थ की नियुक्ति अनुसूची 7, आइटम 1 और 5 के साथ पठित धारा 12(5) के विपरीत है और इसलिए, शून्य भी है। अनिवार्य रूप से धारा 11(8) और 12(1) पर भरोसा करते हुए , उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रकटीकरण अवश्य होना चाहिए नियुक्ति से पहले किया जाना चाहिए।

9. श्री भान ने प्रस्तुत किया कि धारा 12(1)(ए) सबसे व्यापक महत्व की है। मैं सहमत हूं। यह हर महत्वपूर्ण पहलू में सबसे व्यापक आयात का है। सबसे पहले, रिश्ते की प्रकृति, जिसके प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। दूसरे, इसका दायरा समय में सीमित नहीं है - यह अतीत या वर्तमान हो सकता है। तीसरा, प्रकटीकरण की आवश्यकता वाले मध्यस्थ के संबंध या हित की प्रकृति भी पर्याप्त व्यापक है। संबंध पक्षों के साथ हो सकता है और हित दोनों पक्षों के साथ-साथ विवाद की विषय वस्तु के लिए भी हो सकते हैं। इसके अलावा, रिश्ते की प्रकृति विभिन्न परिस्थितियों में हो सकती है या रुचि हो सकती है

- वित्तीय, व्यवसायिक, पेशेवर या अन्य प्रकार का। श्री भान की यह दलील भी अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रकटीकरण पर केवल वहां विचार नहीं किया जाता है जहां परिस्थितियां वास्तव में मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा, खुलासा स्वयं मध्यस्थ के विश्वास पर निर्भर नहीं है। यदि परिस्थितियाँ "उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने की संभावना रखती हैं" तो खुलासा अवश्य किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, श्री भान ने प्रस्तुत किया कि परीक्षण यह नहीं है कि क्या वास्तविक पूर्वाग्रह है, बल्कि यह है कि क्या विचाराधीन परिस्थितियाँ पूर्वाग्रह की उचित आशंका को जन्म देती हैं। हम परीक्षण को थोड़ा अलग तरीके से रखेंगे।

हमारे अनुसार, परीक्षण वास्तव में यह नहीं है कि क्या वास्तविक पूर्वाग्रह है, बल्कि यह है कि तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, एक उचित व्यक्ति पूर्वाग्रह की संभावना को समझ सकता है या नहीं। एक उचित व्यक्ति के मन में ऐसी आशंका को कौन सी परिस्थितियाँ उचित ठहराएँगी, यह मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ऐसी परिस्थितियों की गणना करने का प्रयास करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है।

10. धारा 12 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के बीच स्पष्ट अंतर है । धारा 12 की उप-धारा (1) एक व्यक्ति को उन परिस्थितियों को लिखित रूप में प्रकट करने की आवश्यकता से संबंधित है जो एक मध्यस्थ के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म दे सकती हैं और जो उसकी क्षमता को प्रभावित करने की संभावना है। मध्यस्थता के लिए पर्याप्त समय समर्पित करें और, विशेष रूप से, 12 महीने की अवधि के भीतर संपूर्ण मध्यस्थता को पूरा करने की उसकी क्षमता। इन शर्तों के अस्तित्व मात्र से, जिनके उदाहरण पांचवीं अनुसूची में प्रस्तुत किए गए हैं, जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने पर अयोग्यता हो जाए। दूसरी ओर, उप-धारा (5) उन शर्तों को निर्धारित करती है जो किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य बनाती हैं।

11. धारा 12 की उपधारा (1) के तहत प्रकट किए जाने वाले तथ्य किसी व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं बनाते हैं। इन तथ्यों का खुलासा ही किया जाना है। स्पष्टीकरण 1 में प्रावधान है कि पांचवीं अनुसूची में बताए गए आधार केवल यह निर्धारित करने के लिए एक मार्गदर्शक हैं कि उनका खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं। इसलिए, पाँचवीं अनुसूची में बताए गए आधार संपूर्ण नहीं हैं। दूसरी ओर, उप-धारा (5) किसी व्यक्ति को मध्यस्थ नियुक्त होने के लिए अयोग्य बनाती है यदि पार्टियों या वकील या विवाद की विषय वस्तु के साथ उसका संबंध सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है। यदि उप-धारा (1) के तहत प्रकट किए जाने वाले तथ्य सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। हालाँकि, यदि उप-धारा (1) के तहत बताए गए तथ्य सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ऐसे तथ्यों से उसे अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। पांचवीं और सातवीं अनुसूची में कुछ श्रेणियां समान हैं। ऐसे मामलों में, व्यक्ति उपधारा (5) के मद्देनजर मध्यस्थ

नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। वर्तमान मामला एक उदाहरण है जहां उप-धारा (1) के तहत खुलासा किया जाना आवश्यक था, लेकिन परिस्थितियां पूर्व मुख्य सचिव को मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराती हैं।

सीआर-7191-2019 - 31 -

12. वर्तमान मामले में, मध्यस्थ द्वारा एक खुलासा किया जाना आवश्यक था। यह आवश्यकता धारा 12(1)(ए) से स्पष्ट है कि मध्यस्थ हरियाणा राज्य का पूर्व मुख्य सचिव था। धारा 12(1)(ए) के तहत एक प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी क्योंकि मध्यस्थ और हरियाणा राज्य के बीच प्रत्यक्ष अतीत के संबंध का अस्तित्व शामिल है, जो संबंध भले ही वित्तीय, व्यावसायिक या पेशेवर न हो, इसके दायरे में आएगा। "अन्य प्रकार" शब्दों द्वारा गठित श्रेणी। जैसा कि मैं शीघ्र ही संकेत करूंगा

- हालाँकि, खुलासा पांचवीं अनुसूची, आइटम 1 में उल्लिखित परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक नहीं था। एक मध्यस्थ के लिए एक कर्मचारी, सलाहकार या सलाहकार के रूप में अतीत या वर्तमान के रिश्ते का खुलासा करना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में, मुख्य सचिव और राज्य के बीच संबंध, जिसमें व्यक्ति को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, धारा 12(1) में "अन्य प्रकार" शब्दों के दायरे में आता है । मैं "अन्य प्रकार" शब्द नहीं पढ़ूंगा। मुख्य सचिव के पद के महत्व के बारे में विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है। यह कहना पर्याप्त है कि किसी राज्य का मुख्य सचिव राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का प्रमुख होता है, राज्य के प्रशासनिक कार्यालयों पर उसका नियंत्रण होता है और वह राज्य और केंद्र के बीच मुख्य कड़ी होता है।

13. किसी और बात के अभाव में, वर्तमान मामले में, मध्यस्थ को केवल यह बताना था कि वह हरियाणा राज्य की पूर्व मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा, जैसा कि मैं जल्द ही प्रदर्शित करूंगा, इससे वह मध्यस्थ नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हो जाएगी। मध्यस्थ के साथ-साथ हरियाणा राज्य ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया है कि उक्त श्रीमती। प्रोमिला इस्सर हरियाणा राज्य की पूर्व मुख्य सचिव थीं। यह श्रीमती की नियुक्ति के हरियाणा सरकार के दिनांक 29.7.2016 के आदेश द्वारा स्थापित किया गया है। प्रोमिला इस्सर मध्यस्थ के रूप में। आदेश

में कहा गया है कि वह "पूर्व मुख्य सचिव, हरियाणा" थीं। इस पत्र की एक प्रति, स्वीकार्य रूप से, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को भेज दी गई थी। इसके अलावा, मध्यस्थ ने अपने संचार दिनांक 8.8.2016 द्वारा, शर्तों के अनुसार पहली बैठक तय करते हुए, दिनांक 29.7.2016 के उक्त आदेश का हवाला दिया। इस प्रकार, हरियाणा राज्य और मध्यस्थ ने प्रतिवादी के साथ मध्यस्थ के पिछले संबंधों का खुलासा किया।

क्सक्सक्स क्सक्सक्स क्सक्सक्स

16. इस प्रकार, यह मानते हुए भी कि मध्यस्थ द्वारा उसकी प्रस्तावित नियुक्ति के समय प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक था, धारा 12 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।"

सीआर-7191-2019 - 32 -

इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए एकमात्र मध्यस्थ द्वारा गैर-प्रकटीकरण का आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

45. निचली अदालत ने पार्टियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को सही और उचित तरीके से निपटाया है और ऐसे निष्कर्ष दिए हैं जो कानूनी रूप से टिकाऊ हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर रखने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग संयमित रूप से और केवल उचित मामलों में किया जाना चाहिए, जहां उच्च न्यायालय की न्यायिक चेतना को कार्य करने में कठिनाई होती है। घोर अन्याय से बचने के लिए. इसके अलावा, अधिनियम का उद्देश्य न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना है और इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को तब सबसे आगे रखा जाना चाहिए जब अधिनियम के तहत तय की गई कार्यवाही के खिलाफ 227 याचिका का निपटारा किया जा रहा हो।

46. न्यायालय इस तथ्य पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है कि एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष मामला 2016 से लंबित है और याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थ कार्यवाही में देरी की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी विशेष

अनुमति याचिका को बिना शर्त वापस लेने के बावजूद, विशेष रूप से एकमात्र मध्यस्थ से मामले को आगे बढ़ाने का अनुरोध करने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर रिकॉल के लिए अपने आवेदन को वापस लेने के बावजूद मध्यस्थता कार्यवाही को विफल करने का प्रयास किया है। इसके बाद, वर्तमान याचिका अधिनियम की धारा 14 के तहत कुछ आधारों को फिर से लागू करने के प्रयास में दायर की गई थी, जो पहले ही अंतिम रूप ले चुके थे। न्यायालय को यह भी सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष वाणिज्यिक न्यायालय, गुड़गांव द्वारा पारित दिनांक 24.4.2019 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें छह सीआर-7191-2019 - 33 - द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के जनादेश को बढ़ाया गया है।

महीने. 24.4.2019 के इस आदेश पर इस न्यायालय द्वारा 13.5.2019 को सिविल रिवीजन संख्या 7193/2019 में रोक लगा दी गई है जो लंबित है। इस प्रकार, एक वर्ष से अधिक समय से मध्यस्थ कार्यवाही में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

47. ऊपर दर्ज कारणों से, वर्तमान नागरिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुमन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
बहादुरगढ़,हरियाणा